राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन , ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ , जयपुर–302005

(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(एस–3613/2013)/अलेसे–II,III/ 1528 दिनांकः– 16-6-25

आख्यात्मक आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या–3507/2025 एवं 4618/2025 में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 07.02.2025 एवं 19.02.2025 के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि श्री शांतिलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II वर्तमान में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड डूंगरपुर में कार्यरत हैं। विभागीय स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 245/2024–25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा श्री शांतिलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का स्थानान्तरण सूची क्रम संख्या–136 पर जिला उद्योग केन्द्र डूंगरपुर एवं सूची क्रम संख्या–277 पर सहायक निदेशक एस.आई.पी.एफ. प्रतापगढ में किया गया। विभागीय स्थानान्तरण आदेश संख्या–246/2024–25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा श्री रितेश पाटीदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का सूची क्रमांक 48 पर प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर से जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, डूंगरपुर में किया गया। श्री रितेश पाटीदार ने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र डूंगरपुर में दिनांक 16.01.2025 को कार्यग्रहण कर लिया गया फलस्वरूप विभागीय शुद्धि–पत्र क्रमांक 2177 दिनांक 22.01.2025 द्वारा श्री शांतिलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का सूची क्रम संख्या–136 पर अंकित जिला उद्योग केन्द्र डूंगरपुर को विलोपित कर दिया गया। श्री शांतिलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ने नवपदस्थापित कार्यालय सहायक निदेशक, एस.आई.पी.एफ. प्रतापगढ में आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है। श्री मीणा द्वारा राजकीय आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की गई है जो कि राज्य हित में उचित नहीं है।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 02(ए) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के लिए नियोक्ता अधिकारी है, तथा स्थानान्तरण की सम्पूर्ण शक्तियां निहित हैं। पिटिशनर श्री मीणा का स्थानान्तरण प्रशासनिक ठोस आधारों पर राज्य हित में लगभग 03 वर्ष 5 माह उपरान्त सम्भाग उदयपुर में ही किया गया है।

राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार श्री शांतिलाल मीणा का सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में किसी भी अन्यत्र विभाग में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदो पर स्थानान्तरण किया जा सकता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या–3507/2025 निर्णय दिनांक 07.02.2025 में निम्न निर्देश प्रदान किये है–"The Competent authority to decide the represenation. (may file fresh, if not already filed) of the petitioner, in accordance with law, keeping in view the observations made in the case of Devendra Choudhary (supra) as expeditiously as possible"

इसी प्रकार एस.बी.सिविल पिटीशन संख्या–4618/2025 में निर्णय दिनांक 19.02.2025 में निम्न निर्देश प्रदान किए है– "The instant petition is disposed of in same terms as the judgment rendered in Devendra Choudhary ibid. Reasons and discussion recorded therein be read part and parcel of instant order."

अतः उक्त निर्देशों की रोशनी में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह भलीभांति स्पष्ट है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–245/2024–25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रार्थी श्री शांतिलाल मीणा का

किया गया स्थानान्तरण राज्य हित में बिना किसी पूर्वाग्रह के आधार पर किया गया है। अतः प्रार्थी श्री शांतिलाल मीणा का अभ्यावेदन इस आदेश के साथ निर्णित किया जाता है कि श्री शांतिलाल मीणा अविलम्ब कार्यालय आदेश संख्या–245/2024–25 दिनांक 15.01.2025 की पालना सुनिश्चित करते हुये अपनी उपस्थिति सहायक निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, प्रतापगढ में देवें।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या–1775/2025 श्री देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पेदन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(एस–3613/2013)/अलेसे–III,II/1523 दिनांकः– 16-6-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, प्रतापगढ।
2. श्री शांतिलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड डूंगरपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
5. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)